A

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मथुरा

निविदा सूचना

पत्रांक: 2286/XII दिनांक : 06 दिसम्बर, 2017

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय परिसर, मथुरा में वादीगण/साक्षीगण, अभिवक्तागण, कर्मचारीगण एवं अन्य आगन्तुकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिये निम्नलिखित विशेष विवरण (स्पेशीफिकेशन) के अनुसार वाटर कूलर आर0ओ0 सहित (03 वर्ष के अनुरक्षण व्यय सहित) एवं एयर कूलर क्रय किये जाने एवं स्वयं के व्यय से न्यायालय में पहुँचाकर स्थापित कराने हेतु मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं :-

निविदा का विवरण :

क्रमांक	क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण	मात्रा
1	वाटर कूलर 150/150 एवं आर0ओ0 25 ली0 प्रति घण्टा, स्टेपलाइजर सहित। वोल्टास/ब्ल्यू स्टार/केन्ट/एक्वा अथवा अन्य प्रतिष्ठित ब्राण्ड (3 वर्ष की अनुरक्षण गारण्टी सहित)	10
2	एयर कूलर (स्टेण्ड सहित), सिम्फनी/केनस्टर अथवा अन्य कोई प्रतिष्ठित ब्राण्ड। 1 वर्ष की गारण्टी सहित।	90

मोहरबंद निविदायें पंजीकृत निविदादाताओं द्वारा जमा करायी जा सकती है। निविदा दाताओं को अवगत कराया जाता है कि निविदा में किसी प्रकार की अनियमितता होने पर निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश, मथुरा को निहित होगा।

नियम व शर्तें :-

1. उक्त निविदा हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से सायं 05:00 बजे तक उक्त निविदा के सम्बन्ध में न्यायालय परिसर स्थित केन्द्रीय नजारत, न्यायालय की बेवसाईट e-courts.gov.in/Mathura तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की बेवसाईट www.allahabadhighcourt.in से जानकारी प्राप्त कर सकते है।
2. उक्त निविदा हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्थान सभी कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक एवं दिनांक 05 जनवरी, 2018 को सायं 02:00 बजे तक निविदा प्रपत्र गैर वापसी शुल्क रू0 100/-की धनराशि से न्यायालय परिसर स्थित केन्द्रीय नजारत कार्यालय से क्रय कर सकते हैं तथा सायं 04:15 बजे तक निविदायें जमा करा सकते हैं। सभी निविदा दाताओं को अवगत कराया जाता है कि वे निविदा मूल्य में सभी टैक्स सम्मिलित कर निविदा प्रपत्र जमा करायें।
3. निविदा के साथ 1 प्रतिशत की दर से धरोहर राशि जमा कराया जाना आवश्यक है। धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 के रूप में **कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, मथुरा** के पक्ष में बंधक होगी, जोकि निविदा की तिथि से 6 माह के लिए वैध होना अनिवार्य है।
4. आपराधिक रिकार्ड वाले निविदा दाताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
5. प्राप्त निविदायें दिनांक 05 जनवरी, 2018 को न्यायालय परिसर, मथुरा के केन्द्रीय कक्ष में उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष सायं 04:30 बजे खोली जाएंगी।
6. सशर्त निविदायें मान्य नहीं होंगी एवं जनपद न्यायाधीश, मथुरा को किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
7. एक बार दी गयी निविदा वापस नहीं ली जा सकती हैं एवं निविदा स्वीकृत होने की दशा में आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का नमूना पास कराने के उपरान्त 15 दिन के अन्दर आपूर्ति करना आवश्यक होगा।

6.12.17

प्रभारी अधिकारी नजारत/
अपर जिला जज,
जिला न्यायालय, मथुरा